तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अब आवश्यक रूप से पेश करें अन्यथा अवसर समाप्त किया जाकर जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जायेगा। पत्रावली आयन्दा दिनांक 22/12/24 को पेश हो उ०ख०अ०	
22/12/2	वकुलाय अनुपस्थित। आज [illegible] द्वारा न्यायालय में अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया गया है, अतः पेशी [illegible] दिनांक 22/12/22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
22/12/22	वकुलाय उप०। अधिवक्ता प्रति वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना चाहते से जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर समाप्त किया जाकर जवाब प्रा० पत्र बन्द किया जाता है। बहस वकुलाय प्रार्थना पत्र 212 R.T. Act 1955 सुनी गई। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है - अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 212 R.T. Act 1955 विरुद्ध प्रतिवादी / अप्रार्थी इस आशय का पेश किया की सरहद मौजा सोजत-खण्ड-2 के खसरा नम्बर 588/6, 589 रकबा क्रमशः 0.4850, 0.2900 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 04 संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि कब्जा काश्त की आई हुई स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी संख्या 01 का 1/12, 02 का 1/12 03 का 1/6, 04 का 1/6, 05 से 09 का 1/6 एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 3 का 1/6, 04 का 1/6 हिस्सा राजस्व रेकर्ड अनुसार है। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारों के मध्य कोई भौतिक बंटवारा किया हुआ नहीं है एवं न ही बीच में किसी प्रकार की मेडें खींची हुई है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच हमेशा अपने हिस्सा कब्जा एवं धोरा नाली एवं मार्गो को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 04 को वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवारा कर मिट्ठल लड़ बाउण्ड्री करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 से 04 बार-बार टालमटोल करते रहे तथा स्पष्टतया कहा कि "वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने हिस्से से अधिक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	कृषि भूमि पर कब्जा कर चारों तरफ तारबंदी कर देंगे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि से बेदखल करके रहेंगे एवं वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवारा कतई नहीं होने देंगे। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 वादग्रस्त कृषि भूमि को किसी अन्य शख्स को बेचान, हस्तान्तरण करने पर आमदा है। अप्रार्थी बेदखल करवाने को मना कर ... यदि वे ऐसा करते हैं तो ... प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की इस्तदुआ की है।
	बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 को जरिये अस्थाई रोके जाने की इस्तदुआ की है जबकि बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन व्यक्त किया कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की रेकर्ड में ... है एवं खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती लिहाजा हस्तगत प्रकरण में नहीं की जा सकती लिहाजा प्रार्थना पत्र खारिज करने की इस्तदुआ की।
	पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, जमाबंदी मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस बनुकाम घर मौर का मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण रिकॉर्ड खातेदार है लिहाजा वर्तमान परिवेश में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित नहीं लगता है।
	:: आदेश ::
	अतः बाद विवेचन / विश्लेषणानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वादहीन, तथ्यहीन व जोखिमपूर्ण नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली असल मुताबिक नियम से कार्य हो।
	SDO [signature]
	निर्णय आज दिनांक 11/2/12 को लिखा जाकर मेरे द्वारा खुले इजलास सुनाया गया।
	SDO [signature]

सेवामें,